Governments in the Eastern Zonal Council meeting supported this proposal.

The Ministry of Cal constituted a Committee under the Chairmanship of Additional Secretary, Ministry of Coal for the revision of rates of royalty. The Committee does not have any representative from the States, which have maximum of stake in the revision of coal royalty.

The coal royalty is supposed to be revised with effect from 16.8.2005. Due to delay in revision and discrimination in the rate of revision, the State Governments are sustaining heavy loss. I appeal to the Central Government to take immediate steps for revision of royalty and compensate the loss incurred by the States due to delay. Thank you.

श्री भागीरथी माझी (उड़ीसा) : महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंद्ध करता हूं।

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंद्ध करता हूं।

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष से संबंद्ध करता हूं।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंद्ध करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): We shall now take up the next item.

GOVERNMENT BILL

The Central Institute of English and Foreign Languages University Bill, 2006

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATID. PURANDESWARI): Sir, I move:

> "That the Bill to establish and incorporate a teaching University for promotion and development of English and other Foreign Languages and their Literature and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): This will be taken up later The House is adjourned for lunch till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at forty-five minutes past twelve of the clock

The House-re-assembled after lunch at thirty minutes past two of the clock

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA) in the Chair

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Requiring Supreme Court and High Courts not to declare any legislation as null and void and striking down the same unless declared so unanimously by a stipulated majority of judges respectively *(Contd.)*

डा0 प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, गत् 18 अगस्त को राज्य सभा के माननीय सदस्य श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक द्वारा सदन में जो संकल्प उपस्थित किया गया था, उस पर मैं अपने विचार रख रही थी और उसी क्रम में, क्योंकि काफी कुछ तो मैं तब कह चुकी थी, इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर चुकी थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उनके सकंल्प के समर्थन के साथ मैं अपनी बात आरम्भ करती हूं।

महोदय, उनका यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है, जिसमें यह कहा गया है, कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधान भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा सिवाय उस स्थिति के जब उच्चतम न्यायालय के मामले में उसके सात न्यायाधीशों से अन्यून न्यायाधीशों की न्यायपीठ और उच्च न्यायालयों के मामले मैं उसके पांच न्यायाधीशों से अन्यून न्यायाधीशों की न्यायपीठ सर्वसम्मति से किसी ऐसे निर्णय की घोषणा करे, अन्यथा संसद द्वारा पारित किसी भी विधान को अकृत और शून्य घोषित नहीं किया जाएगा और उसे रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में सीलिंग वाले मामले में ससंद में जो संकल्प पारित हुआ, विधान पारित हुआ, उसकी जिस तरह से उपेक्षा की गई तथा और भी कुछ मामलों में जब ऐसा दिखाई दिया तब यह आवश्यकता हुई कि सदन में इस तरह का संकल्प लाया जाए, इस तरह की चर्चा की जाए।

महोदय, यह एक बहुत अहम, नाजुक, लेकिन विचारणीय सवाल है, स्थिति है, जिस पर चर्चा करना और उससे कोई निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है। महोदय, हर पद की अपनी एक गरिमा है महत्व है, अपना कार्यक्षेत्र है, और मर्यादा है। यदि आज इस सदन द्वारा, जो कि भारत की सबसे बड़ी एक लोक अदालत है, जहां कोई विधान बनाया जाता है, जहां जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं